



DMI Finance Private Limited

**उधार लेने वाला यह स्वीकार करता और सहमत वह उत्पाद करेगा होना पहुंचा दिया साथ एक आवेदन कौन करेगा ताला उत्पाद पर घटना भुगतान में देरी/नीचे दिए गए अनुसार इंटरनेट से गैर-कनेक्टिविटी, और इस तरह के लॉकिंग पर उत्पाद का उपयोग बंद कर दिया जाएगा विकलांग, और उधारकर्ता उत्पाद का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, सिवाय (१) आपातकालीन कॉल करने और कॉल प्राप्त करने के (मामले में) मोबाइल; और (२) इंटरनेट सेटिंग बदलें (स्मार्ट टेलीविज़न के मामले में)। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डीएमआई ऐसे उत्पाद को जारी रखने का हकदार है डीएमआई की संतुष्टि के लिए डिफॉल्ट ठीक होने तक लॉक करना।**

**ऋण लेने वाले स्वीकार करता है कि डिफॉल्ट का इलाज उधारकर्ता द्वारा, यह इच्छा डीएमआई/सैमसंग लें आस-पास 48 से 72 घंटे निष्क्रिय करें उत्पाद कार्यक्षमता प्रतिबंध से परिहार की अपराध / गलती करना और इस बात से सहमत है कि उधार लेने वाला करेगा नहीं कोई भी है क्या दावे डीएमआई/सैमसंग द्वारा उत्पाद के उपयोग को पुनः आरंभ करने में लिया गया कोई भी उचित समय**

### ऋण वीर्य दृष्टि बंधक समझौता

ऋण वीर्य दृष्टि बंधक समझौता ("ऋण ऋण के लिए समझौता") डीएमआई द्वारा वित्त निजी सीमित होना इसका दर्ज कराई कार्यालय पर अभिव्यक्त करना इमारत, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 ('डीएमआई' से तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती से है)

#### 1. परिभाषाएं

1.1 शर्तें और अभिव्यक्ति निहित में यह ऋण समझौता और ऋण आवेदन रूप हैं परिभाषित जैसा अंतर्गत: "आपातकालीन कॉल" का अर्थ निम्नलिखित नंबरों पर वॉयस कॉल होगा: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112; "अनुप्रयोग" का अर्थ सैमसंग द्वारा उत्पाद पर प्रदान किया गया अनुप्रयोग होगा;

"उपलब्धता अवधि" का अर्थ वह अवधि होगी जिसके भीतर उधारकर्ता सुविधा से निकासी का अनुरोध कर सकता है और इसका विवरण मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है; "उपलब्ध सुविधा मात्रा" मतलब पर कोई बिंदु का समय अनाहरित मात्रा का सुविधा, शामिल कोई मात्रा का सुविधा कौन बन जाता है उपलब्ध अनुसरण को कोई चुकौती या पूर्व भुगतान का सभी या भाग का कोई पहले का ड्रॉडाउन;

"उधार लेने वाला" मतलब उधार लेने वाला जैसा बताया गया है में चाबी तथ्य कथन;

"उधारकर्ता का बकाया" मतलब सभी रकम देय द्वारा उधार लेने वाला डीएमआई को, शामिल उत्कृष्ट सुविधा, दिलचस्पी, सभी अन्य शुल्क, लागत और खर्च;

"शीतलता बंद अवधि" मतलब ए समय खिड़की दृढ़ निश्चय वाला द्वारा डीएमआई कौन करेगा होना दिया गया को उधारकर्ताओं के लिए बाहर निकल रहा है डिजिटल ऋण, में मामला ए उधार लेने वाला फैसला करता है नहीं को ऋण जारी रखें।

"ड्रॉडाउन" करेगा अर्थ प्रत्येक गिरावट का सुविधा अंदर उपलब्धता अवधि और जैसा प्रति शर्तें का फाइनेंसिंग दस्तावेज़, शामिल गिरावट किसी भी राशि जो सुविधा के विरुद्ध उपलब्ध हो जाती है, किसी भी पहले के ड्रॉडाउन के पूर्व भुगतान / पुनर्भुगतान के अनुसार;

"देय तारीख" में आदर का कोई भुगतान मतलब तारीख पर कौन कोई राशि है देय से उधार लेने वाला को डीएमआई, जैसा प्रदान किया में चाबी तथ्य कथन।

"ईएमआई" मतलब समान महीने के मात्रा को होना चुकाया गया द्वारा उधार लेने वाला की ओर चुकौती का सभी असाधारण ड्रॉडाउन और भुगतान का दिलचस्पी (अगर वित्त पोषण दस्तावेजों के अनुसार)

"सुविधा" मतलब अधिकतम गिरावट आप LIMIT मंजूर किया गया द्वारा डीएमआई तक उधार लेने वाला जैसा प्रति चाबी तथ्य कथन, कौन मई होना उपलब्ध तक उधार लेने वाला जैसा ए परिक्रामी श्रेय;

"वित्तपोषण दस्तावेज़" का अर्थ है यह ऋण समझौता, ऋण आवेदन, कुंजी तथ्य विवरण, जिसमें शामिल है इसके अनुलग्नक और कोई भी दस्तावेज उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा अपेक्षित, समय-समय पर संशोधित;

"ऋण आवेदन" मतलब आवेदन में निर्धारित रूप जैसा प्रस्तुत से समय को समय द्वारा उधार लेने वाला को डीएमआई के लिए चाह रहा है वित्तपोषण;

"चाबी तथ्य कथन" मतलब चाबी तथ्य कथन प्रदान किया डीएमआई द्वारा को उधार लेने वाला, युक्त, अलग से अन्य ज़रूरी जानकारी, विवरण का अप्रैल, वसूली तंत्र, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, शांत अवधि, आदि;

"सामग्री हानिकर प्रभाव" मतलब कोई आयोजन कौन में डीएमआई राय चाहेंगे पास होना एक हानिकर प्रभाव पर (मैं) उधारकर्ता का क्षमता को वेतन उधारकर्ता का बकाया या (ii) उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली;

"अतिदेय आरोप" मतलब गलती करना दिलचस्पी जैसा निर्धारित में चाबी तथ्य कथन कौन है देय पर सभी मात्रा कौन हैं नहीं चुकाया गया पर उनका संबंधित देय तिथियाँ;

"उद्देश्य" का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित प्रत्येक ड्रॉडाउन का उपयोग है, जिसमें किसी भी उत्पाद की खरीद शामिल है विक्रेताओं से; "गतिमान उपकरण" मतलब होगा कोई गतिमान उपकरण निर्मित और बिका हुआ द्वारा SAMSUNG जो है खरीदे जाने का प्रस्ताव द्वारा ऋण लेने वाले से विक्रेता; "उत्पाद" का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा कोई भी मोबाइल उपकरण, SAMSUNG स्मार्ट टेलीविज़न या कोई अन्य निर्मित और बेचे जाने वाले उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद द्वारा

SAMSUNG कौन है प्रस्तावित को होना खरीदा द्वारा उधार लेने वाला से विक्रेता और में रेखा साथ उद्देश्य प्रदान किया में चाबी तथ्य कथन; "सैमसंग" इसका अभिप्राय सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड होगा;

"सैमसंग बुद्धिमान टेलीविज़न" का अर्थ स्मार्ट टेलीविज़न होगा निर्मित और द्वारा बेचा गया SAMSUNG कौन है खरीदे जाने का प्रस्ताव द्वारा उधारकर्ता से विक्रेता। उधारकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि ग्राहक सहायता इंजीनियर, स्थापना/सेटअप इंजीनियर को टीवी पर जाने को अनुमति दी जानी चाहिए इंस्टॉलेशन जगह और उपयोग अपना मामले में हॉटस्पॉट का नहीं इंटरनेट या रिमोट दिया गया पहुंच को स्थापित करना बुद्धिमान टीवी आवेदन (सैमसंग बुद्धिमान अपग्रेड) जबकि स्वीकार करना बुद्धिमान टीवी नियम व शर्तें द्वारा उपयोगकर्ता या अभियंता पर और से का उधार लेने वाला। यह है उपयुक्त नए को खरीदना या मरम्मत का बुद्धिमान टीवी खरीदा साथ बुद्धिमान टीवी एप्लिकेशन (सैमसंग स्मार्ट अपग्रेड)

"विक्रेता" करेगा अर्थ विक्रेता, शामिल ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसा अनुमत द्वारा डीएमआई से समय को समय में आदर का कौन फाइनेंसिंग चाहेंगे होना किसी भी उत्पाद की खरीद के लिए डीएमआई द्वारा प्रदान की गई।

"उत्पाद ताला" विशेषता करेगा सक्षम डीएमआई को आरंभ करना पूरा ताला पर उत्पादों ऐसा वह पहुंच को घर स्क्रीन का उत्पादों इच्छा होना बंद और यह कि सी भी फ्रैक्टरी रीसेट, बाइनरी फ्लैशिंग, यूएसबी, ब्लूटूथ या टैथरिंग का जवाब नहीं देगा, जहाँ उधारकर्ता मासिक भुगतान करने में विफल रहते हैं, इसके बावजूद रसीद का अनेक अनुस्मारक से डीएमआई उत्पाद ताला करेगा भी प्रतिबंध लगाना उधार लेने वाला से को देखने और एक्सेस करना अनुप्रयोग का उत्पादों और अन्य पारस्परिक रूप से सहमत कटौती। स्मार्ट टेलीविज़न के मामले में, उत्पाद के लिए आवधिक इंटरनेट कनेक्टिविटी अनिवार्य है, जिसके विफल होने पर उत्पाद तक पहुंच उत्पाद प्रतिबंधित रहेगा।



ए. यह जीसी, (ए) एकवचन शामिल बहुवचन (और उपाध्यक्ष (प्रतिकूल) और (बी) संदर्भ को ए लिंग करेगा शामिल करना प्रतिक्रिया दें संदर्भ को महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग.

## 2. संवितरण

2.1 उधार लेने वाला मई पर कोई समय दौरान उपलब्धता अवधि, अनुरोध अदायगी का कोई मात्रा को क्षेत्र का उपलब्ध सुविधा मात्रा। डीएमआई एकमात्र होगा और इस तरह के अनुरोध के खिलाफ ड्रॉडाउन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार। सुविधा निम्न प्रकृति की हो सकती है एक परिक्रामी ऋण और उपलब्ध सुविधा राशि उपलब्धता अवधि के दौरान पूर्व भुगतान/पुनर्भुगतान के कारण बदल सकती है। किसी भी बात के बावजूद निहित में यह ऋण समझौता, डीएमआई करेगा पास होना निरपेक्ष सही को रद्द करना या अस्वीकार करना कोई आगे ड्रॉडाउन से सुविधा पर इसका अकेला विवेक जैसा भी वह उचित समझे, जिसमें उधारकर्ता के ऋण मूल्यांकन में कोई भी परिवर्तन शामिल है।

2.2 किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी विक्रेता/विक्रेता/स्वास्थ्य सेवा संस्थान या उसके अधिकृत व्यक्ति को सीधे किसी भी ड्रॉडाउन का संवितरण माना जाएगा उधारकर्ता को वितरित कर दिया गया है।

2.3 उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में बताए गए गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर कर भी देना होगा, जिसे एक निश्चित अवधि के लिए कर के रूप में जोड़ा जा सकता है। अदायगी को पहला नुक्सान और उधार लेने वाला इच्छा इसलिए होना उत्तरदायी के लिए पूरा ड्रॉडाउन।

## 3. दिलचस्पी और चुकौती

3.1 ऋण लेने वाले इच्छा वेतन ब्याज (यदि लागू) पर प्रत्येक ड्रॉडाउन द्वारा बनाया गया उधार लेने वाला का सुविधा और सभी अन्य मात्रा देय जैसा प्रदान किया में चाबी तथ्य कथन और ब्याज होगा होना चक्रवृद्धि पर मासिक आधार. उधार लेने वाला इच्छा होना उत्तरदायी के लिए पूरा नुक्सान मात्रा और करेगा वेतन भरा हुआ मात्रा के लिए प्रत्येक ड्रॉडाउन. तथापि, में ऐसा मामले, में आयोजन किस्त है नहीं चुकाया गया पर देय तारीख, सभी अतिदेय मात्रा करेगा अर्जित करना दिलचस्पी पर निर्धारित दर (" अतिदेय शुल्क ") जिसकी गणना संबंधित से की जाएगी भुगतान की नियत तिथियाँ और ब्याज होगा मासिक आधार पर संयोजित.

3.2 ऋण लेने वाले मानता है वह में मामला का पहचान की उद्देश्य, नुक्सान मई होना अनुमत पर शून्य दिलचस्पी आधार और में ऐसा मामलों वापसी होगी होना चयनित उद्देश्यों के लिए विक्रेताओं/स्वास्थ्य सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई एकमुश्त गैर-वापसी योग्य अग्रिम छूट के माध्यम से डीएमआई को उपलब्ध कराया जाता है डीएमआई और विक्रेता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि के बीच पारस्परिक रूप से सहमति।

3.3 प्रत्येक ड्रॉडाउन की अवधि मुख्य तथ्य विवरण में दिए अनुसार होगी। ईएमआई की गणना डीएमआई द्वारा परिशोधन के लिए आवश्यक अनुसार की जाएगी। ड्रॉडाउन अंदर उनका संबंधित कार्यकाल और दिलचस्पी देय उस पर और नहीं से अधिक अधिकतम ईएमआई जैसा प्रदान किया में चाबी तथ्य कथन. ईएमआई केवल बकाया मूलधन और उस पर ब्याज के लिए होगी और इसमें कोई डिफॉल्ट ब्याज या द्वारा देय कोई अन्य शुल्क वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता।

3.4 भुगतान का प्रत्येक ईएमआई पर समय है सार का अनुबंध. उधार लेने वाला मानता है वह वह है समझा विधि का गणना का ईएमआई पर कोई विवाद नहीं किया जाएगा।

3.5 तिस पर भी कुछ भी कहा गया कहीं में फाइनेंसिंग दस्तावेज, सभी उधारकर्ता का बकाया, शामिल ईएमआई, करेगा होना देय द्वारा उधार लेने वाला को डीएमआई डीएमआई द्वारा मांगे जाने पर, अपने विवेकानुसार और बिना किसी आवश्यकता के कोई भी कारण बताए जाने पर उधारकर्ता को ऐसी राशि का भुगतान करना होगा, बिना किसी विलम्ब या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर।

3.6 डीएमआई को ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को भावी रूप से संशोधित करने का अधिकार होगा, तथा डीएमआई ईएमआई/ईएमआई की संख्या की पुनः गणना कर सकता है। बकाया सुविधा और ब्याज का पुनर्भुगतान। डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन, भावी रूप से लागू होगा (यदि ऐसा आवश्यक हो तो) अंतर्गत कोई लागू कानून) और अंतिम होगा और बंधन उधारकर्ता पर. यदि का इस तरह के संशोधन उधारकर्ता को पूर्व भुगतान का हकदार, अंदर 30 ऐसे संशोधन के (तीस) दिन के भीतर, संपूर्ण बकाया सुविधा उपार्जित ब्याज सहित (यदि लागू) बिना किसी पूर्वभुगतान दंड के।

3.7 भुगतान में देरी की स्थिति में, डीएमआई के अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डीएमआई अतिदेय प्रभार (मुख्य नियम 1976 में निर्धारित) का हकदार होगा। विलंब की अवधि के लिए उधारकर्ता से (तथ्य विवरण) प्राप्त करना होगा।

3.8 उधारकर्ता किसी भी ड्रॉडाउन का भुगतान उसकी निर्धारित अवधि से पहले केवल डीएमआई की पूर्व स्वीकृति से और निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकता है और डीएमआई द्वारा निर्धारित पूर्वभुगतान शुल्क।

3.9 उधार लेने वाला करेगा होना दिया गया एक विकल्प को बाहर निकलना ऋण द्वारा का भुगतान प्रधानाचार्य और सदृश अप्रैल, बिना कोई जुर्माना, दौरान ए विशिष्ट अवधि (" कूलिंग ऑफ पीरियड "), जैसा कि डीएमआई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित अवधि सात दिनों की अवधि वाले ऋणों के लिए तीन दिनों से कम नहीं होगी दिन या उससे ज्यादा और सात दिन से कम अवधि वाले ऋणों के लिए एक दिन। लुक-अप अवधि के बाद भी ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए, पूर्व-भुगतान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी अनुमति जारी रहेगी।

3.10 उधार लेने वाला करेगा भालू सभी दिलचस्पी, कर, कर्तव्य, उपकर कर्तव्य और अन्य फार्म का करों चाहे उपयुक्त अब या में भविष्य, देय अंतर्गत कोई कानून पर किसी भी समय के संबंध में डी.एम.आई, को किया गया कोई भी भुगतान अंतर्गत वित्तपोषण दस्तावेज। यदि ये डीएमआई द्वारा व्यय किए गए हैं, इन्हें डीएमआई से वसूल किया जाएगा। उधारकर्ता को भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय प्रभार की दर से ब्याज देना होगा।

3.11 वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम और शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि सबसे पहले विनियोजित की ओर लागत, शुल्क, खर्च और अन्य धन; दूसरा की ओर अतिदेय शुल्क, अगर कोई भी; तीसरे की ओर दिलचस्पी; और अंत में सुविधा की मूल राशि के पुनर्भुगतान की ओर।

3.12 दिलचस्पी (अगर लागू), अतिदेय चर्चस और सभी अन्य प्रभार करेगा अर्जित करना से दिन को दिन और करेगा होना गणना पर आधार का 365 दिन ए वर्ष और वास्तव में बीते दिनों की संख्या।

3.13 अगर देय तारीख के लिए कोई भुगतान है नहीं ए व्यापार दिन, मात्रा इच्छा होना चुकाया गया द्वारा उधार लेने वाला पर तुरंत सफल व्यापार दिन।

3.14 उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल उसी दिन दिया जाएगा देय राशि की वसूली।

## 4. तरीका का भुगतान, चुकौती और पूर्व भुगतान

4.1 उधारकर्ता को, डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अनुसार, समय प्रदान करना ( मैं ) अधिदेश या (ii) राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन घर (डेबिट समाशोधन)/ कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग अधिदेश (सामूहिक रूप से निर्दिष्ट को जैसा "एनएसीएच") जैसा अधिसूचित द्वारा संरक्षित किनारा का भारत ("आरबीआई") खिलाफ बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ता के बैंक खाते से राशि प्राप्त की जाएगी। ऐसा अधिदेश/एनएसीएच ऐसे बैंक और ऐसे स्थान से निकाला जाएगा जिस पर डीएमआई द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो। उधारकर्ता को पहली प्रस्तुति/देय तिथियों पर बिना चूके सभी भुगतान करने होंगे। उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अधिदेश/NACH DMI द्वारा उपयोग किया जा सकता है उधारकर्ता के किसी भी बकाया की वसूली। उधारकर्ता इस प्रकार बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऐसे सभी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करता है ऋणी को तुरंत (और किसी भी स्थिति में सात (7) दिनों के भीतर) अधिदेश और/या एनएसीएच और/या अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपने विवेकानुसार उधारकर्ता की बकाया राशि के भुगतान के लिए निष्पादित किया जा सकता है।

4.2 ऋण लेने वाले करेगा, पर सभी टाइम्स बनाए रखना पर्याप्त कोष में उसका/उसकी किनारा हिसाब किताब के लिए देय भुगतान का उधारकर्ता का बकाया पर संबंधित देय खजूर। उधार लेने वाला करेगा बंद न करे किनारा खाता/खाते जिनसे मैडेट/एनएसीएच प्राप्त हुआ है गया जारी किए गए या रद्द करना या समझौते निर्देश को बैंक या डीएमआई को अधिदेश/एनएसीएच के तहत भुगतान रोकने या विलंब करने का अधिकार डीएमआई को नहीं है और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।



- 4.3 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश/एनएसीएच उधारकर्ता के बकाये के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी अन्य तरीके से। किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी अधिदेश / एनएसीएच का अनादर करना समझौता योग्य अनुबंध के तहत एक आपराधिक अपराध है उपकरण कार्य, 1881/द भुगतान और बस्तियों कार्य, 2007. उधार लेने वाला करेगा होना उत्तरदायी को वेतन अपमान प्रभार के लिए प्रत्येक अधिदेश / नच अपमान (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।
- 4.4 कोई विवाद या अंतर का कोई प्रकृति जो भी करेगा नहीं टाइटिल उधार लेने वाला को रोक या देरी भुगतान का कोई ईएमआई या अन्य जोड़ और डीएमआई करेगा होना अधिकारी को उपस्थित अधिदेश / नच पर संबंधित देय खजूर।
- 4.5 तिस पर भी निर्गमन का अधिदेश / एनएसीएच, उधार लेने वाला इच्छा होना अकेले जिम्मेदार को सुनिश्चित करना समय पर भुगतान का बकाया राशि।
- 4.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ई-मैन्डेट /एनएसीएच के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में, अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। लेन-देन के लिए शुल्क लिया जाएगा और इसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।
5. **उधारकर्ता का वाचाएँ, प्रतिनिधित्व और वारंटियों**
- 5.1 उधार लेने वाला करेगा:
- (i) निरीक्षण और अभिनय करना सभी इसका दायित्वों अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़।
- (ii) डी.एम.आई. को सभी दस्तावेज़ तुरंत सौंपे, जिनमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिनकी डी.एम.आई. द्वारा समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। उधारकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह डी.एम.आई. को सभी दस्तावेज़ तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिसकी डी.एम.आई. को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। डीएमआई को स्वतंत्र रूप से संवाद करने का अधिकार देता है (i) के साथ कोई भी बैंक जहां उधारकर्ता का कहना है एक खाता और विवरण प्राप्त करना और इस संबंध में बयान ऐसे खाते का बैंक से और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ डीएमआई द्वारा आवश्यक समझा जाना, जिसमें उधारकर्ता के खाते की निगरानी करना भी शामिल है। ऋण पात्रता।
- (iii) तुरंत सूचित करें डीएमआई का कोई मुकदमों या कानूनी कार्यवाही खिलाफ कोई उधार लेने वाला।
- (iv) सूचित करें डीएमआई का कोई सामग्री हानिकर प्रभाव या आयोजन का गलती करना।
- (v) डीएमआई को सूचित करें लिखना का स्थान में सभी परिवर्तन/ पता का कार्यालय / निवास /जगह का व्यापार या कोई परिवर्तन/इस्तीफा/समाप्ति / बंद करना रोजगार/पेशा/व्यवसाय का।
- (vi) नहीं छुट्टी भारत के लिए रोजगार या व्यापार या दीर्घकालिक रहना विदेश में बिना पूरी तरह चुकाने सुविधा तब उत्कृष्ट, एक साथ साथ दिलचस्पी और अन्य बकाया एवं प्रभार।
- (vii) उपलब्ध करवाना सुरक्षा, अगर कोई भी, जैसा निर्दिष्ट में फाइनेंसिंग दस्तावेज़ या जैसा मई होना आवश्यक द्वारा डीएमआई में मामला का कोई परिवर्तन में श्रेय पात्रता का कोई उधार लेने वाला (जैसा कि डीएमआई द्वारा निर्धारित किया गया है)।
- (viii) सुनिश्चित करना जमा का वेतन और / या व्यापार आय का में खाता से कौन अधिदेश/एनएसीएच पास होना गया जारी किए गए को डीएमआई.
- (ix) प्रथम ड्रॉडाउन के दिन या उससे पहले डीएमआई द्वारा अपेक्षित क्रेडिट जीवन बीमा पॉलिसी लें, जिसमें दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी के लिए कवर शामिल होगा। विकलांगता और बेरोजगारी तथा ऐसे अन्य नियम जो डीएमआई को स्वीकार्य होंगे।
- (x) अनुपालन करना पर सभी टाइम्स साथ उपयुक्त कानून, शामिल, रोकथाम का धन लॉन्ड्रिंग कार्य, 2002.
- (xi) उपयोग प्रत्येक नुकसान केवल के लिए उद्देश्य।
- 5.2 उधार लेने वाला इसके द्वारा बनाता है ए पहला और अनन्य शुल्क द्वारा रास्ता का दृष्टि बंधक पर उत्पाद में कृपादृष्टि का डीएमआई.
- 5.3 प्रत्येक उधार लेने वाला का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट को डीएमआई जैसा अंतर्गत:
- (i) सभी जानकारी प्रदान किया द्वारा उधार लेने वाला में ऋण आवेदन और कोई अन्य दस्तावेज़, चाहे या नहीं उपयुक्त के लिए पता लगाने श्रेय उधारकर्ता की पात्रता सत्य एवं सही है तथा किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं है;
- (ii) उधार लेने वाला है काबिल का और अधिकारी अंतर्गत सभी उपयुक्त कानून को निष्पादित करना और अभिनय करना फाइनेंसिंग दस्तावेज़ और लेनदेन इसके तहत;
- (iii) उधार लेने वाला है ऊपर 18 साल का आयु और यह ऋण समझौता है ए कानूनी, वैध और बंधन दायित्व पर उसे उसकी, अप्रवर्तीय खिलाफ उसे उसकी में इसकी शर्तों के अनुसार;
- (iv) उधार लेने वाला वाणी वह वह/ वह है नहीं निषिद्ध द्वारा कोई कानून से का लाभ उठाने यह सुविधा;
- (v) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे डीएमआई के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो या ऋण के प्रति उसकी देयता प्रभावित हो। वित्तपोषण दस्तावेज़ों के अंतर्गत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करना;
- (vi) उधार लेने वाला है नहीं में गलती करना का भुगतान का कोई करों या सरकार बकाया;
- (vii) उधार लेने वाला इच्छा करना सभी कृत्य, काम और चीजें, जैसा आवश्यक द्वारा डीएमआई को देना प्रभाव को शर्तों का यह ऋण समझौता;
- (viii) वह वहाँ हैं नहीं दिवालियापन या दिवालियापन कार्यवाही खिलाफ उधार लेने वाला।
- 5.4 ऋण लेने वाले देता है इसका सहमति डीएमआई सभी का उपयोग/संग्रहीत करने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी उधारकर्ता द्वारा या अन्यथा द्वारा प्राप्त डीएमआई जिस तरह से यह समझा जाता है उपयुक्त शामिल के लिए प्रयोजनों का यह सुविधा या के लिए इसका व्यापार और समझता है और इससे सहमत वह डीएमआई मई खुलासा ऐसा जानकारी को इसका ठेकेदार, एजेंट और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष।
- 5.5 में आयोजन सुविधा/ड्रॉडाउन है के लिए खरीदना का कोई उत्पाद, उधार लेने वाला भी चलाती और वाचाएँ जैसा नीचे:
- (i) उधार लेने वाला करेगा नहीं होना अधिकारी को कोई बढ़ोतरी में सुविधा मात्रा द्वारा के कारण कोई बढ़ोतरी में खरीदना कीमत किसी भी उत्पाद। तथापि, में आयोजन का कोई घटना में खरीदना कीमत, डीएमआई मई में इसका विवेक कम करना प्रधानाचार्य मात्रा का स्वीकृत सुविधा;
- (ii) विक्रेता उत्पाद की डिलीवरी के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा और डीएमआई डिलीवरी में किसी भी देरी या गैर-डिलीवरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उ त्पा द और / या उ क्त उत्पाद की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में ;
- (iii) उत्पाद रद्दीकरण के मामले में, डीएमआई संबंधित सुविधा को तभी वापस माना जाएगा जब विक्रेता अनुपालन के बाद डीएमआई को राशि वापस कर दे। उधार लेने वाला साथ भुगतान वापसी की नीति विक्रेता का. में मामला का इस तरह की वापसी, डीएमआई धनवापसी ईएमआई, अगर कोई भी, भुगतान किया गया से उधार लेने वाला, कम दिलचस्पी अगर कोई के लिए अवधि बीच में खरीदना और धन वापसी, और इलाज सुविधा/ड्रॉडाउन पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई। प्रक्रमण फीस नहीं होगा प्रतिपूर्ति की जाए और इच्छा यदि कोई हो तो रिफंड के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ;
- (iv) उधार लेने वाला करेगा नहीं दावा भाग कब्ज़ा या स्वामित्व का उत्पाद या बनाएँ कोई तीसरा दल अधिकार उस पर बिना सहमति का डीएमआई;
- (v) डीएमआई करेगा पास होना पहला और अनन्य शुल्क पर उत्पाद .
6. **घटनाएँ का गलती करना**
- 6.1 अगले कार्य/घटनाएँ, करेगा प्रत्येक गठित करना एक "आयोजन का गलती करना" द्वारा उधार लेने वाला के लिए प्रयोजनों का प्रत्येक सुविधा:
- (i) उधार लेने वाला विफल रहता है को बनाना भुगतान का कोई उधारकर्ता का बकाया पर देय तारीख;



DMI Finance Private Limited

- (ii) उल्लंघन का कोई शर्त, वाचाएँ, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या इसकी सूचना देने वाला अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़;
- (iii) कोई धोखा या बहकाना या आड़ का सामग्री जानकारी द्वारा उधार लेने वाला कौन सकना पास होना प्रभावित फ़ैसला का डीएमआई को अनुदान कोई सुविधा;
- (iv) मौत, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता का उधार लेने वाला;
- (v) उधार लेने वाला का इस्तेमाल नुकसान के लिए कोई उद्देश्य अन्य बजाय उद्देश्य;
- (vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई की एकमात्र और पूर्ण राय में, भौतिक प्रतिकूल प्रभाव, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन या कुर्की के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा शामिल है। अपनी किसी भी संपत्ति पर प्रतिबंध लगाना;



- 6.2 फ़ैसला का डीएमआई जैसा को चाहे या नहीं एक आयोजन का गलती करना है घटित हुआ करेगा होना बंधन ऊपर उधार लेने वाला।
7. **नतीजे का गलती करना**
- 7.1 किसी भी चूक की घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को सभी राशियों की घोषणा करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा। असाधारण में आदर का सुविधा, चाहे देय या नहीं, तुरंत प्रतिदेय और ऊपर उधार लेने वाला असफलता को बनाना कहा भुगतान अंदर 15 (पंद्रह) दिनों के बाद, डीएमआई अपने विवेक से किसी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो किसी भी लागू कानून के तहत डीएमआई के लिए उपलब्ध हो सकता है, शामिल चाह रहा है कोई निषेधाज्ञा राहत या लगाव खिलाफ़ उधार लेने वाला या उनका संपत्तियां। तिस पर भी पूर्वोक्त, में आयोजन का उधार लेने वाला असफलता को बनाना भुगतान का उधारकर्ता का बकाया अंदर 90 (नब्बे) दिन से देय तारीख का ऐसा भुगतान, डीएमआई करेगा, इंटर आलिया, पास होना सही को इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करें और तदनुसार क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करें।
- 7.2 डीएमआई करेगा भी पास होना बिना शर्त सही को तुरंत लेना कब्ज़ा का उत्पाद और उधार लेने वाला इच्छा नहीं बाधा डालती या रोकना वही। डीएमआई बेचने, किराये पर देने या अन्यथा किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हुए बिना, सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी बिक्री द्वारा उत्पाद का सौदा करें, और आवेदन करने के लिए वहां की शुद्ध आय सबसे पहले संतुष्टि की ओर का सभी व्यय प्रतिष्ठा में का कब्ज़ा करना या ऐसी बिक्री, और या घटाएँ दूसरे की ओर भुगतान का संतुलन का दिलचस्पी और अन्य रकम देय द्वारा उधार लेने वाला को डीएमआई और तब की ओर असाधारण प्रधानाचार्य मात्रा का सुविधा और अगर वहाँ है कोई आधिक्य, बाद समायोजन और भुगतान का सभी करों प्रभार वगैरह पर लेन-देन, डीएमआई करेगा वेतन ऐसा आधिक्य उधारकर्ता(ओं) को राशि। हालाँकि, यदि यदि कोई घाटा है तो उसे उधारकर्ता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और कब्ज़ा या की बिक्री उत्पाद द्वारा डीएमआई ऋणदाता को बकाया किसी भी राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। हालाँकि, डीएमआई ऋणदाता को बकाया राशि सौंप देगा। उत्पाद उधारकर्ता को तब दिया जाएगा जब कार्य पूरा होने से पहले डीएमआई की संतुष्टि के लिए सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा की बिक्री का उत्पाद.
- 7.3 ऋणदाता करेगा भी पास होना बिना शर्त सही को तुरंत लेना का कब्ज़ा उत्पाद।
- 7.4 उधारकर्ता उपरोक्त चूक या डीएमआई के प्रयोग के परिणामस्वरूप होने वाली सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा। उपचार.
8. **खुलासे**
- 8.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता, सुविधा, ड्रॉडाउन, डिफॉल्ट (यदि कोई हो) से संबंधित सभी जानकारी और डेटा का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता द्वारा डीएमआई जैसे तीसरे पक्ष/एजेंसियों के प्रति प्रतिबद्ध खुलासा करना उचित और आवश्यक समझे और/या आरबीआई द्वारा अधिकृत, जिसमें शामिल हैं ट्रांसप्यूनियन सिबिल सीमित ("सिबिल"). उधार लेने वाला भी मानता है और अधिकृत करता है ऐसा जानकारी को इस्तेमाल किया गया, प्रसंस्कृत द्वारा डीएमआई / तीसरा पार्टियाँ/ सिबिल / भारतीय रिजर्व बैंक जैसा वे मई समझना उपयुक्त और में के अनुसार उपयुक्त कानून. आगे में आयोजन का गलती करना, डीएमआई और ऐसा एजेंसियां करेगा पास होना एक अयोग्य उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों, जैसा भी लागू हो, के नाम को इस तरह से और इसके माध्यम से 'चूककर्ता' के रूप में प्रकट या प्रकाशित करने का अधिकार जैसे माध्यम डीएमआई / सिबिल/आरबीआई/ अन्य अधिकृत एजेंसी में उनका पूर्ण विवेक मई सोचना उपयुक्त, शामिल में समाचार पत्र, पत्रिका और सामाजिक मीडिया.
- 8.2 उधार लेने वाला करेगा नहीं पकड़ना डीएमआई जिम्मेदार के लिए बंटवारे और/या का खुलासा जानकारी अब या में भविष्य और भी के लिए कोई नतीजे का सामना करना पड़ा द्वारा उधारकर्ता और/या अन्य द्वारा कारण उसके. के प्रावधान यह खंड 8 करेगा जीवित बचना समापन का ऋण समझौता और की अदायगी उधारकर्ता का बकाया.
9. **इलेक्ट्रॉनिक मिडिया**
- 9.1 उधार लेने वाला इसके द्वारा पुष्टि करता है, मानता है और इससे सहमत वह ऑनलाइन स्वीकार का यह ऋण समझौता शामिल कोई परिवर्तन साथ ही के माध्यम से वेबसाइट या ऐसे अन्य इंटरनेट या वेब आधारित माध्यमों से पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का परिणाम होता है।
- 9.2 उधारकर्ता को पता है कि इस ऋण समझौते, नियम और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार का प्रसारण ('संचार') इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, फ़ैक्स, एसएमएस पाठ संदेश, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि के माध्यम से। ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') में शामिल है धोखाधड़ी पूर्ण परिवर्तन और गलत प्रसारण तथा गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम हैं जिनके लिए डीएमआई उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **मिश्रित**
- 10.1 प्रविष्टियां बनाया में अभिलेख का डीएमआई करेगा होना निर्णयात्मक प्रमाण का अस्तित्व और का मात्रा उधारकर्ता का बकाया और कोई कथन का देय राशि सुसज्जित डीएमआई द्वारा किया गया निर्णय उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर बाध्यकारी होगा।
- 10.2 उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता, उस स्थिति में जब एक से अधिक उधारकर्ता ने संयुक्त रूप से आवेदन किया है किसी भी सुविधा के लिए, संयुक्त और कई।
- 10.3 उधारकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा (i) किसी भी आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए / निर्देशों या (ii) के लिए दे रही है डीएमआई भरा हुआ फ़ायदा का अधिकार अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़. बिना पूर्वाग्रह को पूर्वोक्त उधार लेने वाला इसके द्वारा अपरिवर्तनीय ढंग से सहमति वह पर इसका असफलता को करना इसलिए, ऐसा परिवर्तन करेगा होना मानना को होना इनकॉर्पोरेटेड में फाइनेंसिंग दस्तावेज़ और करेगा होना बंधन पर उधार लेने वाला।
- 10.4 किसी भी सुविधा के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार जारी रहेंगे। जब तक डीएमआई द्वारा उधारकर्ता की बकाया राशि की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो जाती।
- 10.5 उधार लेने वाला मानता है वह दर का दिलचस्पी, दंडनीय/अतिदेय शुल्क, सेवा प्रभार और अन्य प्रभार देय और या मान गया को होना चुकाया गया द्वारा उधार लेने वाला अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़ हैं उचित और स्वीकार्य को उसे/ उसकी।
- 10.6 उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डीएमआई अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वयं या अपने कार्यालय के माध्यम से ऐसी गतिविधियाँ करने के लिए स्वतंत्र है। कर्मचारी होना अधिकारी और है भरा हुआ शक्ति और अधिकार इसलिए को नियुक्त करना एक या अधिक तीसरा पार्टियाँ (इसके बाद निर्दिष्ट को जैसा " सेवा प्रदाता ") जैसा डीएमआई मई चुनना और प्रतिनिधि नियुक्त करना ऐसे के लिए दल सभी या कोई का इसका कार्य, अधिकार और शक्ति अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़ संबंधित को सोर्सिंग, पहचान और उधारकर्ता से संबंधित जानकारी का सत्यापन, प्रशासन, सुविधा की निगरानी और सभी वैध कृत्यों, कार्यों को निष्पादित करना इससे संबंधित और उसके प्रासंगिक मामले और चीजें जिनमें नोटिस भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, नकद/चेक/ड्राफ्ट प्राप्त करना शामिल है। डी एम आई के पक्ष में उधारकर्ता से अधिदेश। सेवा प्रदाता को ऋणदाता द्वारा किसी भी मामले में वसूली/संग्रह एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। उधारकर्ता से प्राप्त बकाया राशि और ऐसे वसूली एजेंट का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा।
- 10.7 उधार लेने वाला मानता है वह फाइनेंसिंग लेन-देन इसके अंतर्गत देता है उठना को ए संबंध का ऋणी और ऋणदाता जैसा बीच में उसे / उसकी और डीएमआई और नहीं में आदर का डीएमआई द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा। तदनुसार, प्रावधान की उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नहीं आएगा। आवेदन करना इस लेनदेन के लिए।



DMI Finance Private Limited

- 10.8 उधारकर्ता डीएमआई को आय प्रमाण दस्तावेज़, निवास दस्तावेज़, पते के प्रमाण सहित सभी जानकारी और दस्तावेज़ों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है दस्तावेज़, पहचान दस्तावेज़ और अन्य ऐसे दस्तावेज़ व्यक्तिगत युक्त और वित्तीय जानकारी जैसा है प्रस्तुत द्वारा उन्हें के लिए प्राप्त कोई सुविधा और वे डी.एम.आई. द्वारा इसे बाद में अपने पास रखने पर भी सहमति देते हैं।



- 10.9 उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता का पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। समय से समय पर और यह भी उत्पन्न / प्राप्त सिबिल, एक्सपीरियन, शिकारी रिपोर्टों और ऐसा अन्य रिपोर्टों जैसा और कब डीएमआई मई उचित समझे। ऋण लेने वाले इसके साथ ही यह भी देता है सहमति और डीएमआई को अधिकृत करता है इसका केवाईसी सत्यापन द्वारा आधार ई-केवाईसी या अन्यथा और कार्य करना ऐसा सब कार्रवाई जैसा मई होना आवश्यक पर इसका ओर से या अन्यथा को विधिवत पूरा प्रक्रिया का ऐसा सत्यापन शामिल द्वारा रास्ता का आधार ई-केवाईसी और शेयर करना ऐसा जानकारी किसी भी प्राधिकारी से संपर्क नहीं कर सकता तथा ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत नहीं कर सकता जिसे वह उचित समझे।
- 10.10 में आयोजन का कोई बहस या विवाद बीच में डीएमआई और उधार लेने वाला के बारे में माद्दा का कोई मामला शामिल का कोई आयोजन घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज़, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा, डीएमआई की राय उपर्युक्त में से किसी भी बात की भौतिकता के संबंध में निर्णय अंतिम होगा तथा उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
- 10.11 ऋण लेने वाले और डीएमआई निम्नलिखित शर्तों पर एक नई सुविधा प्रदान करने पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं: ऋण समझौते और ऐसे निष्पादन द्वारा डीएमआई द्वारा अपेक्षित उधारकर्ता द्वारा आगे पत्र/वचन-पत्र।
10. **गंभीरता**  
उधार लेने वाला मानता है वह प्रत्येक का उसका/उसकी दायित्वों अंतर्गत इन फाइनेंसिंग दस्तावेज़ है स्वतंत्र और से पृथक करने योग्य बाकी का।
11. **शासी कानून और क्षेत्राधिकार**  
11.1 सभी सुविधाएं और फाइनेंसिंग दस्तावेज़ करेगा होना अधीन द्वारा और अर्थ लगाया के अनुसार कानून का भारत।  
11.2 सभी विवाद, मतभेद और / या दावा उत्पन्न होने वाला बाहर का इन प्रस्तुत करता है या जैसा को निर्माण, अर्थ या प्रभाव इस करण या जैसा को सही और देनदारियों इ स म झौ ते के तहत पक्षों के बीच विवादों का निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (" मध्यस्थता अधिनियम ") के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (" डीआईएसी नियम ") के नियमों के तहत केंद्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निपटारा जाएगा अनुसार साथ इसका नियम। मध्यस्थता करना प्रक्रिया करेगा होना संचालित में अंग्रेज़ी भाषा और कोई पुरस्कार या पुरस्कार करेगा होना प्रतिपादन किया में अंग्रेज़ी। स्थान का मध्यस्थता करना दिल्ली होगी और कार्यवाही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी। निर्धारित में अनुभाग 29(बी) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, पुरस्कार सहित अन्तरिम पुरस्कार का मध्यस्थता करना करेगा होना अंतिम और बंधन पर सभी पार्टियाँ संबंधित। पंच मई उत्तीर्ण पुरस्कार बिना उन्होंने कहा कोई कारण में ऐसा पुरस्कार।
- 11.3 आगे, उपस्थित खंड करेगा जीवित बचना समापन का वित्तपोषण दस्तावेज़. न्यायालय पर दिल्ली, भारत को पास होना अनन्य क्षेत्राधिकार (विषय मध्यस्थता कार्यवाही जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) वित्तपोषण दस्तावेज़ों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवाद।
12. **नोटिस**  
12.1 कोई सूचना को होना दिया गया को उधार लेने वाला में आदर का फाइनेंसिंग दस्तावेज़ करेगा होना मानना को पास होना गया वैध दिया गया अगर सेवित पर उधार लेने वाला या भेजा द्वारा दर्ज कराई डाक को या बाएं पर पता का उधार लेने वाला मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यापार या निजी पता। कोई ऐसा नोटिस भेजा गया द्वारा दर्ज कराई डाक माना जाएगा रखने के लिए गया प्राप्त द्वारा उधार लेने वाला अंदर 48 घंटे से समय का इसका पोस्टिंग. कोई सूचना डीएमआई को होना मानना को पास होना गया यह तभी वैध होगा जब डी.एम.आई. द्वारा उपरोक्त पते पर प्राप्त किया जाएगा।
- 12.2 सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य में उल्लिखित विवरणों के माध्यम से ऋणदाता से संपर्क कर सकता है। कथन।
13. **कार्यभार**  
a. उधार लेने वाला करेगा नहीं होना के हकदार संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थानांतरण या सौंपना सभी या कोई का उनका सही या दायित्व या कर्तव्य अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़ को कोई व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से या बनाएं कोई तीसरा दल दिलचस्पी में कृपादृष्टि का कोई व्यक्ति बिना पूर्व लिखा हुआ सहमति का डीएमआई.  
b. डीएमआई होना बेचना का हकदार, स्थानांतरण करना, सौंपना या प्रतिभूतिकरण करना में कोई ढंग जो भी (में साबुत या में भाग और शामिल के माध्यम से अनुदान का भाग लेना अधिकार) वित्तपोषण दस्तावेज़ों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को पूर्व लिखित सहमति के बिना, या सूचना उधारकर्ता को ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर जैसा कि डी.एम.आई. तय कर सकता है। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण के मामले में, उधारकर्ता करेगा अभिनय करना और होना उत्तरदायी को अभिनय करना उनका दायित्व अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़ को ऐसा संपत्ति-भागी या हस्तान्तरणकर्ता. में ऐसा आयोजन, उधार लेने वाला करेगा य दि डी ए म आ ई द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए तो शेष अधिदेश/एनएसीएच को हस्तांतरित/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करना।
14. **हानि से सुरक्षा**  
उधारकर्ता समय-समय पर और हर समय डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों को क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखता है खिलाफ कोई देयता, दावा करना, नुकसान, निर्णय, हानि, लागत या व्यय (शामिल, बिना सीमा, उचित वकील का फीस और खर्च) जैसा ए परिणाम वित्तपोषण अनुबंध में निहित किसी भी नियम व शर्तों और दायित्वों का पालन करने या निष्पादित करने में उधारकर्ता द्वारा किसी भी विफलता से उत्पन्न दस्तावेज़ या आयोजन का गलती करना या व्यायाम का कोई का अधिकार द्वारा डीएमआई अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़, शामिल के लिए कोई प्रवर्तन का सुरक्षा या उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली।  
डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("डीएमआई") सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों से संबंधित प्रावधान - भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, कंपनी उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को पहचानना, चूक होने पर तुरंत, उन्हें नीचे दिए अनुसार विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करना वर्गीकरण का उल्लेखित आधार;  
"तारीख का अतिदेय" मतलब तारीख पर कौन उधार लेने वाला हिसाब किताब करेगा होना चिह्नित किए गए जैसा अतिदेय जैसा भाग का दिन अंत प्रक्रिया।  
उदाहरण: अगर देय तारीख का ऋण खाता है 15-मार्च-22 का महीना और भरा हुआ देय राशि हैं नहीं प्राप्त पहले कंपनी रन डे-एंड प्रक्रिया इस तिथि के लिए, उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईएमआई देय तारीख	15-मार्च- 22	दिन अतीत देय (डीपीडी)	-
ईएमआई अतिदेय	15-मार्च- 22	0- 30	एसएमए0
ईएमआई अवशेष अतिदेय (नहीं प्राप्त तक दिन अंत प्रक्रिया)	14-अप्रैल- 22	31- 60	एसएमए1
ईएमआई अवशेष अतिदेय	14-मई- 22	61- 90	एसएमए2
ईएमआई अवशेष अतिदेय	13-जून- 22	91 और ऊपर दिए गए	एनपीए

**ऋण हिसाब किताब वर्गीकृत जैसा एनपीए मई होना अपग्रेड जैसा मानक संपत्ति केवल अगर पूरा बकाया का दिलचस्पी और प्रधानाचार्य हैं चुकाया गया द्वारा उधार लेने वाला ।**



DMI Finance Private Limited

**उदाहरण:**

विवरण	परिदृश्य 1*	परिदृश्य 2
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईएमआई मात्रा	5,000	5,000
अतिदेय ईएमआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
संतुलन अतिदेय ईएमआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	उधार लेने वाला इच्छा जारी रखना को होना रिपोर्ट जैसा एनपीए तक पूरा अतिदेय मात्रा है चुकाया गया	मानक

\* में संदर्भ को भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र नहीं। आरबीआई/2021-2022/158 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2021-22 दिनांकित 15 फरवरी, 2022, परिदृश्य 1 (वर्गीकृत जैसा एनपीए मई होना अपग्रेड जैसा 'मानक' परिसंपत्ति केवल तभी लागू होगी जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुकाया गया हो) 01 अक्टूबर 2022 से लागू होगी।

**टिप्पणी**

- रिपोर्टिंग का एनपीए हिसाब किताब इच्छा अब होना हो गया पर दैनिक आधार.
- में मामला का उधारकर्ताओं होना अधिक बजाय एक ऋण से डीएमआई, ऋण हिसाब किताब करेगा होना अपग्रेड से एनपीए को मानक संपत्ति वर्ग केवल ऊपर सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान।
- किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर समान प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, आग्रह सभी उधारकर्ताओं को बनाना उनका ईएमआई भुगतान जैसा प्रति देय तारीख उल्लिखित में ऋण चुकौती अनुसूची। यह सक्षम बनाता है एक क्रेडिट स्कोर में सुधार, जुमनि से बचाव, तथा टॉप-अप ऋण/ऑफर के लिए पात्रता में सुधार।
- हम प्रोत्साहित करना सभी उधारकर्ताओं को लकड़ी का लट्टा में को <https://portal.dmifinance.in/> को वेतन ईएमआई.

**15. स्वीकृति:**

सभी शर्तों और विनियमों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस ऋण समझौते का पक्ष बनने के लिए सहमत होगा। डीएमआई नीति के अनुरूप ऋण समझौते और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में मेरे/हमारे द्वारा भरे गए विवरण। मैं/हम सहमत हैं कि यह ऋण समझौता करेगा निष्कर्ष निकाला जाए और कानूनी रूप से बन जाए बंधन पर तारीख जब अधिकृत अफसर डीएमआई का हस्ताक्षर यह पर दिल्ली या की तारीख पर प्रथम संवितरण, जो भी पहले हो।

द्वारा हस्ताक्षर या द्वारा पर क्लिक "मैं स्वीकार करें"/ई-हस्ताक्षर, उधार लेने वाला इलेक्ट्रॉनिक रूप से लक्षण इन जीसी, शर्तों का सेवा ("टीओएस") और गोपनीयता नीति ("पीपी") मोबाइल एप्लीकेशन / स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन और सेवाओं से संबंधित (क्रमशः अनुबंध 2 और अनुबंध 3 के रूप में जी.सी. से संलग्न) और उनकी शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत है। उधारकर्ता द्वारा इन जी.सी. को TOS और PP के साथ स्वीकार करने से निम्नलिखित का गठन होगा: (i) उधारकर्ता का अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और होने का समझौता बिना शर्त सभी से बंधे शर्तों और इसमें निर्धारित शर्तों ये जी.सी., टी.ओ.एस. और पीपी, और (ii) उधारकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि ये जीसी (टीओएस, पीपी और वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा गया तथा पूरी तरह समझा गया।

**मुख्य तथ्य कथन**

दिनांक: विनियमित इकाई का नाम  
डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (" डीएमआई ")

ऋण संदर्भ संख्या:

आवेदक का नाम:

क्रमांक।	पैरामीटर	विवरण
1	ऋण का प्रकार	सुरक्षित उपभोक्ता ऋण
	सुरक्षा का प्रकार	डीएमआई के पक्ष में डिवाइस पर दृष्टिबंधक के माध्यम से पहला और अनन्य प्रभार उधारकर्ता द्वारा भुगतान में चूक/विलंब होने पर डिवाइस लॉकिंग सुविधा के साथ, जिसका विवरण नीचे और ऋण सह दृष्टिबंधक अनुबंध में दिया गया है।
2	स्वीकृत ऋण राशि	
ए	डिवाइस ऋण राशि	
बी	सैमसंग केयर+ ऋण राशि	
सी	बीमा (क्रेडिट शील्ड) ऋण राशि - (एक बार),	
3	संवितरण अनुसूची ( i ) चरणबद्ध तरीके से या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
4	ब्याज दर % मासिक – डिवाइस - (घटती हुई)	%
5	ब्याज दर % मासिक (ऐड-ऑन उत्पाद)	%
6	ऋण की पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज प्रभार (रुपये में)	
7	<b>शुल्क/प्रभार</b> , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रसंस्करण शुल्क (एक बार), यदि कोई हो (रुपये में)	
बी	कोई अन्य शुल्क (यदि कोई हो) (रुपये में)	
8	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
9	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
10	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %	%
11	एल.ओ.सी. का विकल्प चुना	
12	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	महीने
13	उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान आवृत्ति (किस्त का प्रकार)	महीने के
14	पुनर्भुगतान की किस्तों की संख्या - ईपीआई की संख्या	
15	पुनर्भुगतान की प्रत्येक किस्त की राशि (रुपये में) (ईपीआई राशि)	
16	पहली EMI की देय तिथि (पुनर्भुगतान की शुरुआत, स्वीकृति के बाद)	
17	ऋण भुगतान का तरीका	अधिदेश



DMI Finance Private Limited

18	लाइन वैधता अवधि	60 महीने
19	खरीदा गया उपकरण/उत्पाद	
20	डिवाइस/उत्पाद मॉडल	
21	खरीदे गए अतिरिक्त उत्पाद	
22	डिवाइस IMEI/सीरियल नंबर	
23	पहनने योग्य मॉडल	
24	सैमसंग केयर+ योजना नं.	नहीं
25	पहनने योग्य ऋण राशि (बंडल ऋण के लिए)	
<b>आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण*</b>		
26	विलंबित भुगतान शुल्क – 550 रुपये + जीएसटी	
27	पूर्व-बंदोबस्ती शुल्क - शून्य	
28	अतिदेय शुल्क – 550 रुपये + जीएसटी	
29	एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क – 500 रुपये + जीएसटी	
30	अन्य शुल्क (वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी	
३१	<b>डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:</b>	
(ए)	आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	5 दिन
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
32	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	10.6
33	ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	12.2
34	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	हाँ
35	<b>गोपनीयता नीति</b> - <a href="https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/">https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/</a>	
36	<b>नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी</b>  <b>शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)</b> नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ <a href="mailto:Grievance@dmifinance.in">Grievance@dmifinance.in</a> पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 <a href="https://www.dmifinance.in/fair-practice">https://www.dmifinance.in/fair-practice</a>	

\* आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है

## टिप्पणी

उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि डिवाइस को एक एप्लिकेशन के साथ वितरित किया जाएगा जो भुगतान में देरी/इंटरनेट से गैर-कनेक्टिविटी की स्थिति में डिवाइस को लॉक कर देगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, और इस तरह के लॉक होने पर डिवाइस का उपयोग अक्षम हो जाएगा, और उधारकर्ता डिवाइस का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, सिवाय (1) आपातकालीन कॉल करने और कॉल प्राप्त करने के लिए (मोबाइल के मामले में); और (2) इंटरनेट सेटिंग्स बदलने के लिए (स्मार्ट

Registered office - Express Building, 3<sup>rd</sup> Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi-110002

Website - [www.dmifinance.in](http://www.dmifinance.in)

Customer Portal - <https://portal.dmifinance.in/>

WhatsApp - 93506 57100 (<https://bit.ly/DMIFINWA>)



DMI Finance Private Limited

टेलीविजन के मामले में)।

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डीएमआई को डिवाइस पर इस तरह का लॉक जारी रखने का अधिकार है जब तक कि डीएमआई की संतुष्टि के अनुसार डिफॉल्ट ठीक नहीं हो जाता। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट ठीक होने पर, डीएमआई/सैमसंग को दोष/डिफॉल्ट के सुधार से उत्पाद कार्यक्षमता प्रतिबंध को निष्क्रिय करने में लगभग 48 से 72 घंटे लगेंगे और सहमत है कि उधारकर्ता के पास डिवाइस के उपयोग को पुनः शुरू करने के लिए डीएमआई/सैमसंग द्वारा लिए गए किसी भी उचित समय के लिए कोई दावा नहीं होगा।

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा दी गई ऋण सुविधा ऋण सह दृष्टिबंधक अनुबंध, इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक, इसके अनुलग्नकों सहित ऋण आवेदन और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज") द्वारा शासित होगी।

ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत है। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) ऋणकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक (अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को ऋणकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।



## चित्रण के लिए गणना का अप्रैल उपभोक्ता ऋण के लिए

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपए) (धारावाहिक नहीं। 2 का केएफएस टेम्पलेट - अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (क्रमांक 11 केएफएस टेम्पलेट का प्रारूप - अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किशतों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का ईपीआई (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक ईएमआई/ ईपीआई (में रुपए) और संख्या का ईपीआई (उदाहरण, नहीं। का ईएमआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 12, 13 और 14 का केएफएस खाका - अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किशतों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक प्रतिबंध (धारावाहिक नहीं। केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 15 - अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 5 का केएफएस टेम्पलेट - अनुलग्नक ए)	कमी
4	दर का ब्याज (सीरियल संख्या 5 केएफएस खाका - अनुलग्नक ए)	15 %
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि ( रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 6 का केएफएस खाका - भाग अनुलग्नक ए)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपए)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 7ए, 7बी और 7 सी केएफएस टेम्पलेट-भाग अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	जाल वितरित मात्रा (1-6) (में रुपए)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 10 - भाग अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तें और स्थितियाँ	विस्तृत कार्यक्रम को प्रदान किया
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 05 तारीख



DMI Finance Private Limited

- विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित राशि के मुकाबले विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची और परिशोधन मॉडल के तहत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।
- APR की गणना IRR दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है। • इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क और कटौती आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

## उपभवन सी

उदाहरणदर्शक वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए अनुलग्नक बी में दर्शाया गया काल्पनिक ऋण

किस्त सं.	बकाया मूलधन ( रुपये में )	प्रधानाचार्य रुपये में )	दिलचस्पी रुपये में )	किस्त रुपये में )
1	20,000	720	250	970
2	19,280	729	241	970
3	18,552	738	232	970
4	17,814	747	223	970
5	17,067	756	213	970
6	16,310	766	204	970
7	15,544	775	194	970
8	14,769	785	185	970
9	13,984	795	175	970
10	13,189	805	165	970
11	12,384	815	155	970
12	11,569	825	145	970
१३	10,744	835	134	970
14	9,909	846	124	970
15	9,063	856	113	970
16	8,206	867	103	970
17	7,339	878	92	970
18	6,461	889	81	970
19	5,572	900	70	970
20	4,672	911	58	970
21	3,761	923	47	970
22	2,838	934	35	970
23	1,904	946	24	970
24	958	958	12	970

Registered office - Express Building, 3<sup>rd</sup> Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi-110002

Website - [www.dmifinance.in](http://www.dmifinance.in)

Customer Portal - <https://portal.dmifinance.in/>

WhatsApp - 93506 57100 (<https://bit.ly/DMIFINWA>)